FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत संभागीय आयुक्त, मुकाम जयपुर

मोतीलाल बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण

किस्म मुकदमा:–अपील अन्तर्गत धारा 90 भू–राजस्व अधिनियम 1956 जीसीएमएस संख्या 2025/573

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/3/25	पत्रावली पेश हुई। बार द्वारा शोक प्रस्ताव पारित कर न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दिनांक 8/5/25 को पेश हो।	
08.04.2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। रेस्पोडेण्ट की ओर से एड0 हीरालाल सैनी उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस, बहस एडमिशन पर सुनी गई। वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी नोटिस दिनांक 07.03.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में मेण्टेनेबल नहीं होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जावे। वकील उभयपक्ष की बहस एवं अपील का अवलोकन किया गया। उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी नोटिस दिनांक 07.03.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में जारी नोटिस के विरूद्ध कानूनन प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से अपील में कोई कार्यवाही किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट बहस एडमिशन के स्तर पर ही खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (पूनम) संभागीय आयुक्त, जयपुर संभागीय आयुक्त जयपुर	